राजस्व आवेदन संख्या :– 630/2021

वादी गण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामू पुत्री लुम्भाराम पत्नि खरथाराम उम्र 44 वर्ष जाति जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 2. वेहनी उर्फ विशनी पुत्री लुम्भाराम पत्नि जुगताराम उम्र 56 वर्ष जाति जाट निवासी झरोखा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 3. मांगी पुत्री लुम्भाराम पत्नि तेजाराम उम्र 60 वर्ष निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 4. धापू उर्फ धपी पुत्री लुम्भाराम पत्नि देराराम उम्र 54 वर्ष जाति जाट निवासी गोल स्टेशन तहसील पचपदरा 5. मम्मी उर्फ मूमल पुत्री लुम्माराम पत्नि तुलसाराम उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी दुधवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1. वालीदेवी पत्नि लुम्मासम उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी झउदरियासर, नौसर तहसील बायतु जिला बाडमेर 2. बाबू पुत्री लुम्भाराम पत्नि लिखमाराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी झरोखा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 3. पप्पू पुत्री लुम्माराम पत्नि जुगताराम उम्र 48 वर्ष जातिं जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 4. अन्नी पुत्री लुम्माराम पत्नि मोतीराम उम्र 58 वर्ष निवासी सुभदण्ड जिला जोधपुर 5. ईमरती पत्नि राणाराम 6. चुतराराम पुत्र सरदारासँग 7. ठाकराराम पुत्र सरदाराराम 8. दीपाराम पुत्र सरदाराराम 9. हनुमानराम पुत्र सरदाराराम 10. मागाराम पुत्र पूनमाराम 11 लाघाराम पुत्र नैनाराम जाति जाट निवासी झरोखा तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 12. लिखमाराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी उदरियासर तहसील बायतु जिला बाडमेर 13. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी 14. तहसीलदार, सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री बींजाराम, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 14 के पैरोकार सरकार उप0।

Signature Not Verified

निर्णय

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12.2.2023

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 पैतृक कब्जा काश्त का खेत मौजा झरोखा पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 21 रकबा 0.0485 हेक्टयर खसरा नम्बर 22 रकबा 0.0809 हेक्टयर

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

खसरा नम्बर 23 रकबा 5.2181 हेक्टयर खसरा नम्बर 45/8 रकबा 1.5290 हेक्टयर तथा वादीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 11 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 13.1301 हेक्टयर में स्थित है जो वादीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मुतवफी लुम्भाराम के खातेदारी में थे तथा लुम्भा पुत्र कालू के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण के पिता लुम्भा के फौत होने पर अकेली विप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज किया। प्रार्थीनीगण के पिता लुम्भा के फौत होने पर लुम्भा की फौतगी का नामान्तरकरण संख्या 40 व 39 पारित किया गया जिसने हल्का पटवारी ने फौत लुम्भा के वारिशान के रूप में प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी सं. 1 से 4 का नाम दर्ज करते हुऐ ना.क.सं. की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा संबंधित आर आई से जांच कराकर उक्त दोनों नामाकरण पारित करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किये गये जिस पर विप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत पर दबाव बनाकर नामान्तरकरण अकेले विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पारित किया गया जबकि प्रार्थीनीगण भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार लुम्भा की जायंदा पुत्रीयां व विधिक वारिश होने के कारण प्रार्थीनीगण को भी विप्रार्थी संख्या 1 के साथ लुम्भा उर्फ लुम्बा की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार के रूप में अंकित करना था परन्तु प्रार्थीनीगण ग्रामीण महिला व अनपढ होने के कारण विप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाकर अपने अकेली के नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया तथा प्रार्थीनीगण को अपने पिता की सम्पति से हमेशा के लिये वंचित कर दिया जबकि प्रार्थीनीगण लुम्बा की विधिक जायन्दा पुत्रीयां होने के कारण लुम्भा की खातेदारी की भूमि में अपने हक हिस्सा घोषित करवाने की विधिक अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 4 का संयुक्त व सामलाती रूप से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीनीगण स्व. लुम्भा की जायदा पुत्री व विधिक उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में लुम्भा के हिस्से में प्रार्थीनीगण प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा की पैतृक खातेदारी की है तथा विप्रार्थी संख्या 1 का भी 1/9 खातेदारी का है तथा इसी अनुसार प्रार्थीनीगण व विप्रार्थीगण संख्या का वादग्रस्त भूमि पर [illegible] निर्वाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। विप्रार्थी संख्या 1 ने [illegible] विधिक हिस्से से अधिक हिस्से का बेचान अजनबी व्यक्ति विप्रार्थी [illegible] विप्रार्थी संख्या 2 का पति है को कर दिया है जबकि विद्यार्थी संख्या 1 का विधिक रूप [illegible] भूमि में लुम्बा के हिस्से की जमीन में 1/9 हिस्सा ही खातेदारी का था तथा अपने हिस्से तक ही बेचान करने का अधिकारी थी परन्तु विप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से के साथ ही प्रार्थीनीगण के हिस्से का बेचान कर दिया है जो बेचान प्राथर्थीनीगण के 1/9–1/9 हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जावें कि वे वादग्रस्त आराजी मौजा झरोखा पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 21 रकबा 0.0485 हेक्टयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.0809 हेक्टयर, खसरा नम्बर 23 रकबा 52181 हेक्टयर, खसरा नम्बर 45/8 रकबा 1.5290 हेक्टयर तथा भूमि खसरा नम्बर 6 रकबा 13.1301 हेक्टयर में प्रार्थीगण के हिस्सा व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें नहीं जबरन बेदखल करने का प्रयास करें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि लुम्भा के वारिशान के रूप में प्रार्थीनीगण व विप्रार्थी सं. 1 से 4 का नाम दर्ज करते हुऐ ना.क.सं. की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा संबंधित आर आई से जांच कराकर उक्त दोनों नामाकरण पारित करने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किये गये जिस पर विप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत पर दबाव बनाकर नामान्तरकरण अकेले विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से पारित किया गया जबकि प्रार्थीनीगण भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार लुम्भा की जायंदा पुत्रीयां व विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिणधरी

दाखिल होने के कारण प्रार्थीनीगण को भी विपक्षी संख्या 1 के साथ तुम्बा एवं तुम्बा की फौती पर दाखिल नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड मे सहखातेदार के रूप मे अंकित करना था परन्तु प्रार्थीनीगण ग्रामीण परिवेश व अनपढ़ होने के कारण विपक्षी संख्या 1 ने नाजायज फायदा उठाकर अपने अकेले के नाम से नामान्तरकरण पारित करवा लिया तथा प्रार्थीनीगण को अपने पिता की सम्पत्ति से हमेशा के लिये वंचित कर दिया जबकि प्रार्थीनीगण तुम्बा की विधिक वारिस पुत्रियां होने के कारण तुम्बा की खातेदारी की भूमि मे अपनी हक हिस्सा घोषित करवाने की विधिक अधिकारी है। जहा तक प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि को पुश्तैनी बताते हुए अपने आप को विपक्षी संख्या 01 की पुत्रिया बताया है जो मूलवाद मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीनीगण राहत प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया प्रकरण मे अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थीनीगण का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested